"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 जून 2002—ज्येष्ठ 11, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2002

क्रमांक 3759/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर दिनांक 24-5-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 3 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 में आगे संशोधन करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में यह अध्यादेश जारी किया गया.

चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल परिस्थितियों से संतुष्ट है कि उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करना आवश्यक है.

अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल द्वारा उक्त अध्यादेश जारी किया जा रहा है.

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (i) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 3 सन् 2002) के नाम से जाना जावेगा.

   (ii) यह अध्यादेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

2. उक्त अध्यादेश जारी रहते हुए, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) निम्न धाराओं में वर्णित संशोधनों के अधीन प्रभावी रहेगा.

धारा 27 में संशोधन.

3. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 में उपधारा (2) में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

रायपुर
दिनांक

राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2002

क्रमांक 3759/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 3 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2002)

THE CHHATTISGARH VANIJYIK KAR (SANSHODHAN) ADHYADESH 2002

Promulgated by Governor in the Fifty third year of the Republic of Inida. An ordinance further to amend the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

Whereas, the State legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (i) This ordinance may be called the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2002 (No. 3 of 2002).

   (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. During the period of operation of this ordinance, the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) shall have effect subject to amendments specified in following sections.

Amendment in section 27.

3. In Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), in sub-section (2) for word "forty" the word "fifty" shall be substituted.

Raipur

Dated

Governor of Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.